<u>न्यायालय– द्वितीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,</u>
<u>जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.)</u>
<u>(समक्ष :– रवि प्रकाश जैन)</u>

Registration No. MACC/117/2022
Filling No. MACC/484/2022
C.N.R. No. MP430500-2855-2022
Filing Date 16-07-2022

1. मुकेश पिता भेरूजी, जाति बागरी, आयु 30 वर्ष, धंधा कुछ नहीं।
2. राजेश पिता भेरूजी, जाति बागरी, आयु 28 वर्ष, धंधा कुछ नहीं।
3. गोविंद पिता भेरूजी जाति बागरी, आयु 24 वर्ष, धंधा कुछ नहीं।
4. कुमारी पवन पिता भेरूजी, जाति बागरी, आयु 22 वर्ष, धंधा कुछ नहीं।
5. कुमारी कृष्णा पिता भेरूजी, जाति बागरी, आयु 20 वर्ष, धंधा कुछ नहीं। समस्त निवासीगण ग्राम छायन, तहसील जावरा, जिला रतलाम म.प्र. **....आवेदकगण**

<u>विरूद्ध</u>

1. मुकेश पिता मांगीलालजी, आयु 45 वर्ष, धंधा वाहन चालक, निवासी ग्राम राकोदा, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम म.प्र.
2. देशराज सिंह पिता दरयावसिंह सिसौदिया, जाति राजपूत, धंधा वाहन मालिक, निवासी ग्राम राकोदा, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम म.प्र.
3. एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शाखा प्रबंधक महोदय, शाखा कार्यालय– 2nd floor, abovr SBI main branch, new market, T.T. nagar, bhopal (m.p.) **.अनावेदकगण**

<u>(अवॉर्ड)</u>

<u>(आज दिनांक 13.05.2023 को पारित किया गया)</u>

1. यह क्लेम प्रकरण आवेदकगण ने दुर्घटना में मृतक भेरू पिता देवाजी की मृत्यु बाबत रूपये 25,00,000/–रूपये की क्षतिपूर्ति प्राप्ति हेतु अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

2. आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक–3 की ओर से क्रमशः अधिवक्ता श्री जगदीश धाकड एवं श्री सौरभ गेलडा द्वारा प्रकरण का निराकरण **नेशनल लोक अदालत** के माध्यम से राजीनामा के द्वारा किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अतः प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखा गया।

3. आवेदकगण तथा अनावेदक क्रमांक–3 द्वारा राजीनामा डॉकेट लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, आवेदकगण की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा उन्हें दिये गये अधिकार और पक्षकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अध्यधीन पक्षकार की ओर से अधिकृत होना प्रकट करते हुये राजीनामा डॉकेट हस्ताक्षरित किया है तथा आवेदकगण द्वारा राजीनामा में वर्णित राशि के अतिरिक्त आवेदन में वर्णित शेष राशि छोडना व्यक्त करते हुये अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विरूद्ध भुगतान हेतु पृथक से कोई सहायता नहीं चाहना प्रकट किया है और राजीनामा अनुसार अवार्ड पारित करने बावत निवेदन किया है।

4. उभयपक्षों ने स्वेच्छा से राजीनामा कर लेना प्रकट किया। राजीनामा विधि अनुसार है, अतः इस राजीनामे को स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित रूप से अवार्ड पारित किया जाता है :–

अ अनावेदक क्रमांक–3 / बीमा कंपनी आवेदकगण को व्यय, ब्याज एवं अभिभाषक शुल्क सहित कुल क्षतिपूर्ति राशि रूपये 5,00,000 / –अक्षरी रूपये (पांच लाख रूपये) मात्र आवेदकगण को अदायगी हेतु इस न्यायालय में जमा करेंगे।

ब उक्त क्लेम अवॉर्ड राशि अधिकरण में जमा होने पर आवेदक कं. 1 लगायत 5 को 20–20 प्रतिशत राशि संदाय की जावे, जिसमें से 5–5 प्रतिशत राशि नगद बचत खाते के माध्यम से संदाय की जावे और शेष 15–15 प्रतिशत राशि तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा रखी जावेगी। उक्त राशि दो माह में जमा नही होने की स्थिति में अनावेदक क्रमांक–3 उक्त राशि पर अवार्ड दिनांक से अदायगी पर्यन्त 5 प्रतिशत वार्षिक की दर ब्याज अदा करेंगे।

स यदि आवेदकगण को पूर्व में अंतरिम प्रतिकर की राशि का भुगतान किया गया हो तो उक्त राशि इस प्रतिकर राशि में से समायोजित कर शेष राशि भुगतान की जावे।

द आवेदकगण अन्य अनावेदकगण से कोई सहायता नहीं चाहते है। अतः उनके विरूद्ध वाद निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना वाद खर्च स्वयं वहन करेंगे।

sd/-
(रवि प्रकाश जैन)
द्वितीय सदस्य मोटर दुर्घटना
दावा अधिकरण, जावरा
जिला रतलाम (म.प्र.)

(सदस्य)

(रविंद्र कुमार क्षोत्रिय)
अधिवक्ता जावरा, जिला रतलाम